 - 21523
7/4/22

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शिशिर कुमार मिश्रा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

विषयः– सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर बाह्य कोटि एवं पी0जी0/डिप्लोमा (तीन वर्षीय Bond) के अर्न्तगत पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर बाह्य कोटि एवं पी0जी0/डिप्लोमा (तीन वर्षीय Bond) के अर्न्तगत पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों के द्वारा मातृत्व अवकाश (महिला चिकित्सकों को) एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति हेतु वांछित साक्ष्यों के साथ अभ्यावेदन ससमय समर्पित नहीं किये जा रहे है एवं अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश का उपभोग किया जा रहा है।

2. उल्लेखनीय है कि सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर बाह्य कोटि एवं पी0जी0/डिप्लोमा (तीन वर्षीय Bond) के अर्न्तगत पदस्थापित महिला चिकित्सक शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति (अधिकतम 180 दिन तक) के मामले में वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्त्तो के साथ अनापत्ति/सहमति प्रदान की गयी हैः–

(क) मातृत्व अवकाश की अवधि के लिए सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर पद का शैक्षणिक/कार्य अनुभव मान्य नहीं होगा।

(ख) संबंधित महिला चिकित्सक शिक्षक द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि के टेन्योर के लिये टेन्योर विस्तारित किया जायेगा, जिसके वास्तविक कार्यवधि का ही मानदेय भुगतेय होगा।

(ग) उपभोगित अवकाश अवधि का मानदेय भुगतान नहीं होगा।

3. अतः सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर द्वारा मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन **कम से कम एक माह पूर्व** प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से संलग्न जॉच–प्रपत्र सहित विभाग को समर्पित किया जाएगा। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सहित प्राचार्य/अधीक्षक इस आशय के साथ अनुशंसा करेगें कि संबंधित सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के अवकाश में रहने से कार्य प्रभावित नहीं होगा एवं साथ ही पाठ्यक्रम की मान्यता भी नहीं प्रभावित होंगी।

4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर बाह्य कोटि एवं पी0जी0/डिप्लोमा (तीन वर्षीय Bond) के अर्न्तगत पदस्थापित महिला चिकित्सक को शिशु–देखभाल अवकाश देय नहीं है। अतः संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के शिशु–देखभाल अवकाश की स्वीकृति हेतु अनुशंसा विभाग को नहीं की जाय और ना ही उन्हे शिशु–देखभाल अवकाश में जाने की अनुमति प्रदान करे।

5. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर बाह्य कोटि एवं पी0जी0/डिप्लोमा (तीन वर्षीय Bond) के अर्न्तगत पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों के लंबी अवधि का अवकाश बिना पूर्व स्वीकृति के अनुमान्य नहीं होगा। अतएव ससमय अवकाश स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन उचित माध्यम से विभाग को समर्पित करें।

6. वैसे सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर जो अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित है, उन्हे अविलम्ब अपने कर्त्तव्य पर योगदान करने हेतु निदेश देना सुनिश्चित किया जाय। यदि निदेश के बावजूद वे कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होते है तो उसकी सूचना विभाग को मंतव्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

7. कृपया उपर्युक्त निर्देशो का दृढता से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही सभी सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय।

Signed by SHISHIR KUMAR MISHRA
Date: 07-04-2022 11:45:37
Reason: Approved

विश्वासभाजन

7/4/22

मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु जॉच–पत्र

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पदनाम :– ....
3. पदस्थापित स्थान / संस्थान का नाम :– ....
....
4. किस कोटि के सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर है (बी0एच0एस0 / बॉण्ड / बाह्य सेवा) :– ....
5. सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक :– ....
6. सेवा में योगदान की तिथि :– ....
7. यदि बिहार स्वास्थ्य सेवा से है, तो नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक (साक्ष्य सहित) :– ....
8. संतान की स्थिति (प्रथम / द्वितीय) :– ....
9. वाँछित मातृत्व अवकाश की अवधि (कब से कब तक):– ....
10. मोबाईल नम्बर :– ....
11. ई–मेल आई0डी0 :–..
12. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के अवकाश में रहने से कार्य प्रभावित नहीं होने एवं पाठ्यक्रम की मान्यता प्रभावित नहीं होने संबंधी अनुशंसा :– ....

संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्तपताल के
प्राचार्य / अधीक्षक का हस्ताक्षर

21523
7/5/22